

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2018

संख्या- 3/एल-6-1-10/2017

/डा0 सुरेन्द्र राय, चिकित्सा पदाधिकारी,

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शोकहारा, बेगुसराय को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पायी जाती है तो उसकी सारी जबाबदेही स्वयं चिकित्सक की होगी ।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 3/एल-6-1-10/2017

639(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 23/8/18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा0 सुरेन्द्र राय का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/डा0 सुरेन्द्र राय, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शोकहारा, बेगुसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, बेगुसराय से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत्त, चिकित्सा पदाधिकारी का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा-2,3,8,9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी